रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102024-257961
CG-DL-E-16102024-257961

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4160] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 15, 2024/आश्विन 23, 1946
No. 4160] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2024/ASVINA 23, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4524(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1726 तारीख 16/04/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के संगरूर जिले में NH-NE5 के कि.मी. 211.3 से कि.मी. 228 (मलेरकोटला) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "30/04/2024 " को "ट्रिब्यून (अंग्रेजी)" और "जगबानी (पंजाबी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी

रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के संगरूर जिले में NH-NE5 के कि.मी. 211.3 से कि.मी.228 (मलेरकोटला) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब			**जिले का नाम: संगरूर**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मलेरकोटला					
गांव का नाम: बीड़ अहमदाबाद					
1	17	निजी (निजी)	कृषि	1.4457	मोहम्मद राशिद पुत्र मोहम्मद यूसुफ 1/2, नाजिरा बेगम पत्नी सारिफ मोहम्मद पुत्र मोहम्मद यूसुफ 1/16, मोहम्मद सलीम पुत्र सारिफ मोहम्मद पुत्र मोहम्मद यूसुफ 1/8। मोहम्मद नूर पुत्र आरिफ मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ पुत्र मोहम्मद यूसुफ 1/8। अहमद अली पुत्र आरिफ मोहम्मद, पुत्र मोहम्मद युसूफ 1/8, रशीदा बेगम पुत्री आरिफ मोहम्मद पुत्र मोहम्मद युसूफ 1/16। मोहम्मद बशीर पुत्र इदु पुत्र उमरा 1/2। मोहम्मद साबिर पुत्र मोहम्मद नज़ीर पुत्र इदु 1/2 हिसा, 17
2	27	निजी	कृषि	0.1854	मोहम्मद सादिक पुत्र दोपु पुत्र दसोई 1/2 भाग बाबू पुत्र अल्लाह

					बख्श पुत्र गैंदा 1/8 भाग अहमददीन पुत्र अता मोहम्मद 1/8, मोहम्मद सरीफ पुत्र रहमद्दीन पुत्र अत्ता मोहम्मद 1/16, मोहम्मद हनीफ रहमद्दीन पुत्र अता मोहम्मद का 1/16, मोहम्मद असलम का पुत्र मोहम्मद यासीन का पुत्र अता मोहम्मद का 1/8 27
गांव का नाम: मानक माजरा					
3	1551/56	निजी	कृषि	0.1686	पातर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह 1113/1726 हिसा, हरकीरत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह 613/1726 हिसा 1551/56
Total				**1.7997**	

[फा. सं. NHAI/PIU/LDH(Expway)/701/LA/2020/DAKE-1/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2024

S.O. 4524(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 1726 Dated:16/04/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5 in the stretch of land from Km. 211.3 to Km. 228 (Malerkotla) in the district of SANGRUR in the state of PUNJAB;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Tribune (English)” and “Jagbani (Punjabi)” both dated30/04/2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-NE5 in the stretch of land from Km. 211.3 to Km. 228 (Malerkotla) in the district of SANGRUR in the state of PUNJAB

State: PUNJAB			**District: SANGRUR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/ Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Malerkotla					
Village: Bir Ahemedbad					
1	17	Private	Agriculture	1.4457	Mohammed Rashid son of Mohammed Yusuf 1/2, Nazira Begum wife of Sarif Mohammed son of Mohammed Yusuf 1/16, Mohammed Salim son of Sarif Mohammed son of Mohammed Yusuf 1/8. Mohammed Noor son of Areef Mohammed Mohammed Yusuf son of Mohammed Yusuf 1/8. Ahmed Ali son of Areef Mohammed son of Mohammed Yusuf 1/8, Rasheeda Begum daughter of Areef Mohammed son of Mohammed Yusuf 1/16. Mohammed Bashir son of Idu son of Umara 1/2. Mohammed Sabir son of Mohammed Nazir son of Idu 1/2 Hisa, 17
2	27	Private	Agriculture	0.1854	Mohammad Sadiq son of Dopu son of Dasoi 1/2 part Babu son of Allah Bakhsh son of Gainda 1/8 part Ahmeddin son of Ata Mohammad 1/8, Mohammad Sarif son of Rehmaddin son of Atta Mohammad 1/16, Mohammad Hanif Rehmaddin son of Ata Mohammad 1/16, Mohammad Aslam son of Mohammad Yasin son of Atta Mohammad 1/8. 27
Village: Manak Majra					
3	1551/56	Private	Agriculture	0.1686	Patar Singh s/o Gurmail Singh s/o Pritam Singh 1113/1726 hissa,Harkirat Singh s/o Gurmail Singh 613/1726 hissa 1551/56
Total				**1.7997**	

[F. No. NHAI/PIU/LDH(Expway)/701/LA/2020/DAKE-1/3D]

ABHAY JAIN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.16 22:29:16 +05'30'